प्रेषक,

जी0एस0 नवीन कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।

2- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शासन।

3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 लखनऊ:दिनांक: 01 सितम्बर,2016

विषयः उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट अप नीति-2016 के बिन्दु 3.3.4.1 "पट्टे/किराये पर लिये गये स्थान के लीज/रेन्टल में छूट" तथा 3.3.4.2 "विद्युत उपादान" के सम्बन्ध में।

महोदय,

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या-449/78-1-2016-25/2012 दिनांक 06 अप्रैल 2016 द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी नीति उ0प्र0-2012 को पुनरीक्षित करते हुए उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट अप नीति-2016 प्रख्यापित की गई है।

2- उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट-अप नीति-2016 के प्रस्तर संख्या-3.3.4.1 "पट्टे/किराये पर लिये गये स्थान के लीज/रेन्टल में छूट"तथा प्रस्तर 3.3.4.2 "विद्युत उपादान" में निम्नवत् व्यवस्था की गई हैः-

3.3.4.1 पट्टे/किराये पर लिये गये स्थान के लीज/रेन्टल में छूट।

राज्य में स्थापित एवं आईटी सिटी/आईटी पार्क्स अथवा अन्य अधिसूचित स्थान में पट्टे/किराये पर लिये गये स्थान से परिचालनरत एम.एस.एम.ई सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा उद्योगों को व्यावसायिक परिचालन आरम्भ होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक तथा इन्क्यूबेटर्स को व्यावसायिक परिचालन आरम्भ होने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि तक, रू0 10 लाख प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा सहित, लीज/रेन्टल चार्जेस की 25 प्रतिशत के समतुल्य की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

3.3.4.2 विद्युत उपादान।

एम.एस.एम.ई सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा इकाइयां, व्यवसायिक परिचालन आरम्भ होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक विद्युत बिलों में 25 प्रतिशत उपादान अथवा रू0 30 लाख, जो भी न्यूनतम हो, की प्राप्ति हेतु पात्र होंगी।

3- उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट-अप नीति-2016 में प्रदत्त उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदेश स्थित एम.एस.एम.ई सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा उद्योगों/इन्क्यूबेटर्स को निम्नानुसार प्रोत्साहन अनुमन्य होंगेः-

3.1 राज्य में स्थापित एवं आईटी सिटी/आईटी पार्क्स अथवा अन्य अधिसूचित स्थान में पट्टे/किराये पर लिये गये स्थान से परिचालनरत एम.एस.एम.ई सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा उद्योगों को व्यावसायिक परिचालन आरम्भ होने की तिथि से तीन वर्ष

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

की अवधि तक रू0 10 लाख प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा सहित, लीज/रेन्टल चार्जेस की 25 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

3.2 इन्क्यूबेटर्स को रू0 10 लाख प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा सहित, लीज/रेन्टल चार्जेस की 25 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति परिचालन आरम्भ होने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि तक, अनुमन्य होगी।

3.3 एम.एस.एम.ई सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा इकाइयों को व्यवसायिक परिचालन आरम्भ होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक विद्युत बिलों में 25 प्रतिशत उपादान अथवा रू0 30 लाख की अधिकतम सीमा सहित, जो भी पहले हो, की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

4- उपरोक्त हेतु पात्र इकाइयों/इन्क्यूबेटर्स को प्रोत्साहन प्रदान किये जाने की कार्यवाही निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन की जायेगी:-

1 <u>अनुदान हेतु इकाइयों/इन्क्यूबेटर्स की पात्रता</u>

(i) राज्य में स्थापित एवं आईटी सिटी/आईटी पार्क्स अथवा अन्य अधिसूचित स्थान में अवस्थित एम.एस.एम.ई सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं सम्बन्धी ऐसी नई इकाईयां जिनके द्वारा शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाली अवधि के भीतर व्यवसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ कर दिये गये हों।

(ii) इन्क्यूबेटर्स जिनके द्वारा शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाली अवधि के भीतर परिचालन आरम्भ कर दिये गये हों तथा नोडल एजेन्सी द्वारा पंजीकृत हों।

2 <u>आच्छादन</u>

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

3 <u>परिभाषायें</u>

एतद्द्वारा संलग्न, **अनुलग्नक-ब** के अनुसार।

4 <u>इकाइयों/इन्क्यूबेटर्स को लीज/रेन्टल्स की प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया</u>

4.1 लीज/रेन्टल्स की प्रतिपूर्ति हेतु इकाई/इन्क्यूबेटर द्वारा अपने आवेदन **(अनुलग्नक-अ)** त्रैमासिक आधार पर नोडल एजेन्सी को प्रस्तुत किये जायेंगे जिनका परीक्षण नोडल एजेन्सी उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 द्वारा किया जायेगा। यह कार्यवाही यथा-सम्भव आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अन्दर पूर्ण कर ली जायेगी।

4.2 इकाई द्वारा प्रस्तुत आवेदन के परीक्षण/सत्यापन के उपरान्त इकाई को लीज रेन्टल्स की प्रतिपूर्ति हेतु अपनी संस्तुति उत्तर प्रदेश सरकार के आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता वाली नीति कार्यान्वयन इकाई के विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत की जायेगी जिसके द्वारा उपयुक्त निर्णय लिया जायेगा।

4.3 आवेदन-पत्र के साथ, लीज/रेन्टल्स अनुबन्ध, वचन-पत्र **(अनुलग्नक-स)** तथा भुगतान किये गये किराये की रसीद की सत्यापित प्रति संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4.4 पिछले त्रैमास के लिए लीज/रेन्टल्स की प्रतिपूर्ति हेतु इकाई/इन्क्यूबेटर द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि अगले त्रैमास की 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर तथा 31 मार्च होगी।

5 <u>एम.एस.एम.ई सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा इकाइयों को विद्युत बिल उपादान की प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया</u>

5.1 इकाई को विद्युत बिल उपादान धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन, अदा किये गये बिलों की सत्यापित प्रति सहित, अर्द्धवार्षिक आधार पर प्रस्तुत किये जायेंगे जिनका परीक्षण नोडल एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। यह कार्यवाही यथा-सम्भव आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अन्दर पूर्ण कर ली जायेगी।

5.2 इकाई द्वारा प्रस्तुत आवेदन के परीक्षण/सत्यापन के उपरान्त इकाई को विद्युत बिल उपादान स्वीकृति हेतु अपनी संस्तुति उत्तर प्रदेश सरकार के आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता वाली नीति कार्यान्वयन इकाई के विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत की जायेगी जिसके द्वारा उपयुक्त निर्णय लिया जायेगा।

5.3 सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त इकाई को तीन वर्ष की अवधि तक विद्युत बिलों में 25 प्रतिशत उपादान, रू0 30 लाख की अधिकतम सीमा सहित, जो भी पहले हो, बिलों की वास्तविक धनराशि के आधार पर अवमुक्त की जायेगी।

5.4 31 मार्च तथा 30 सितम्बर को समाप्त होने वाली छमाही के लिए विद्युत बिल उपादान धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु इकाई द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि क्रमशः 30 जून तथा 31 दिसम्बर होगी।

6 <u>न्यायालय का क्षेत्राधिकार</u>

किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में लखनऊ स्थित न्यायालयों में ही वाद दायर किया जा सकेगा।

7 <u>व्यय भार</u>

प्रोत्साहन धनराशि के भुगतान में आने वाले सभी व्यय जिसमें आवश्यकतानुसार विधिक विलेख निष्पादित करने में आने वाले व्यय, स्टैम्प शुल्क, अधिवक्ता, सालिस्टर शुल्क व अन्य आनुसंगिक व्यय शामिल हैं, पात्र इकाई/इन्क्यूबेटर के द्वारा देय होगा।

8 <u>प्रोत्साहन अनुदान निरस्तीकरण हेतु मानदण्ड</u>

इकाई/इनक्यूबेटर द्वारा प्राप्त किये गये लाभों के उपरान्त यदि किसी समय यह पाया जाता है कि उसके द्वारा दी गयी सूचनायें गलत हैं, अथवा तथ्यों को छिपाकर गलत आंकड़ों/अभिलेखों के आधार पर प्रोत्साहन धनराशि प्राप्त की गयी है तो उपलब्ध करायी गई धनराशि 15 प्रतिशत ब्याज सहित वसूल की जायेगी तथा धनराशि वापस न करने पर यह धनराशि भू-राजस्व बकाये के रूप में वसूल की जायेगी, साथ ही इकाई/संस्थान के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी।

भवदीय,

(जी0एस0 नवीन कुमार)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-777(1)/78-1-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।

2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

3- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

4 प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।

6- प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।

7- सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन ।

8- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।

9- निदेशक, उद्योग कानपुर, उ0प्र0।

10- कार्यकारी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।

11- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।

12- निजी सचिव, विशेष सचिव(एन/भू), आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।

13- प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी/यूपीडेस्को/अपट्रान इण्डिया लि0/अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0/श्रीट्रान इण्डिया लि0।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र प्रसाद भारती)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवॅ स्टार्ट–अप नीति–2016 के अन्तर्गत प्रोत्साहन के लिए
आवरण–पत्र
(आवेदक इकाई/इन्क्यूबेटर के लेटर पैड पर)

सेवा में,

नोडल एजेन्सी
आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

विषयः उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवॅ स्टार्ट–अप नीति–2016 के अन्तर्गत प्रोत्साहन की मॉग

महोदय,

उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवॅ स्टार्ट–अप नीति–2016 और तत्सम्बन्धी शासनादेशों के परीक्षणोंपरान्त हम, अधोहस्तक्षरी, एतदद्वारा अपना आवेदन–पत्र (**अनुलग्नक–अ**) संलग्न करते हुए उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवॅ स्टार्ट–अप नीति–2016 में वर्णित प्रोत्साहन प्रदान किये जाने की मॉग करते हैं।

हम पुष्टि करते हैं कि विभाग को प्रस्तुत किये जा रहे अनुलग्नकों, वित्तीय प्रलेखों, घोषणाओं, प्रमाणन, प्रदर्शों एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ–साथ आवेदन–पत्र अथवा उसके किसी भाग में निहित सभी सूचनायें सत्य, सही एवं परिपूर्ण हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसमें निहित कथन किसी महत्वपूर्ण तथ्य के प्रति विभाग को पूर्णतः अथवा अंशतः भ्रमित नहीं करते, इस आवेदन में समस्त आवश्यक सूचनायें समाविष्ट हैं।

हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, इसके पूर्व दी गई सूचनायें और अन्य संलग्न पत्रादि सभी प्रकार से सत्य और सहीं हैं। हम वचनबद्ध हैं कि राज्य सरकार की अन्य किसी योजना के अन्तर्गत आवेदक द्वारा इस प्रकार के अन्तर्गत प्रोत्साहन की मांग न तो पहले की गई है और न ही प्राप्त किया गया है। हम पुनः यथा आवश्यकता, विवरणों को अभिलेखीय साक्ष्य द्वारा प्रमाणित करने का वचन देते हैं।

हम सहमत हैं कि हमारे आवेदन को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का आपके विवेकाधीन पूर्णाधिकार है।

हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि हमें अपनी इकाई/संस्थान की ओर से कार्यवाही करने तथा इस दस्तावेज एवं ऐसे अन्य दस्तावेजों को, जोकि इस सम्बन्ध में आवश्यक हो, को हस्ताक्षरित करने का अधिकार है।

तिथिः

सम्बन्धित इकाई के स्वामी/ साझेदार/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक
अथवा
सम्बन्धित इन्क्यूबेटर के प्रभारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

अनुलग्नक–अ

एम.एस.एम.ई सूचना प्रौद्योगिकी/ सू0प्रौ0 जनित सेवा उद्योगों/इन्क्यूबेटर्स को लीज/रेन्टल्स की प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन

इकाई/इन्क्यूबेटर का विवरण

इकाई/इन्क्यूबेटर का नाम :

इकाई/इन्क्यूबेटर का पता :

पिन कोड

आवेदक की श्रेणी – कृपया (√) करें : एम.एस.एम.ई सूचना प्रौद्योगिकी/ सू0प्रौ0 जनित सेवा इकाई ☐
इन्क्यूबेटर ☐

पट्टे/ किराये पर लिये गये स्थान की अवस्थिति – कृपया (√) करें : आईटी पार्क ☐
आईटी सिटी ☐
अन्य अधिसूचित स्थान (कृपया स्पष्ट करें) ☐

किराये पर दिये गये स्थान के वास्तविक सम्पत्ति के स्वामी का विवरण

नाम :

पताः :

PAN No :

दूरभाष नॅ0 : ई–मेल

लीज/रेन्टल चार्जेस तथा छूट का विवरण (रूपयों में)									
एम.एस.एम.ई सूचना प्रौद्योगिकी/ सू0प्रौ0 जनित सेवा इकाई द्वारा मॉगी गई छूट				इन्क्यूबेटर द्वारा मॉगी गई छूट					
प्रथम वर्ष में	द्वितीय वर्ष में	तृतीय वर्ष में	छूट की कुल राशि	प्रथम वर्ष में	द्वितीय वर्ष में	तृतीय वर्ष में	चतुर्थ वर्ष में	पॅचम वर्ष में	छूट की कुल राशि

विद्युत बिल छूट का विवरण (रूपयों में)			
एम.एस.एम.ई सूचना प्रौद्योगिकी/ सू0प्रौ0 जनित सेवा इकाई द्वारा मॉगी गई विद्युत बिल छूट की प्रतिपूर्ति			
प्रथम वर्ष में	द्वितीय वर्ष में	तृतीय वर्ष में	छूट की कुल राशि

तिथिः

सम्बन्धित इकाई के स्वामी/ साझेदार/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक
अथवा
सम्बन्धित इन्क्यूबेटर के प्रभारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

टिप्पणीः

1. मॉगी जा रही लीज/रेन्टल्स की प्रतिपूर्ति, पट्टे/किराये पर लिए गए स्थान के कुल वार्षिक किराये का 25 प्रतिशत, जिसकी अधिकतम सीमा प्रतिवर्ष रू 10.00 लाख होगी, अनुमन्य होगी।
2. लीज/रेन्टल्स प्रतिपूर्ति का भुगतान त्रैमासिक आधार पर किया जायेगा।
3. लीज/रेन्टल्स प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु लीज/रेन्टल्स अनुबन्ध तथा भुगतान किये गये किराये की रसीद की सत्यापित प्रति, आवेदन के साथ संलग्न करें।
4. विद्युत बिल उपादान धनराशि का भुगतान, बिल की वास्तविक धनराशि का 25 प्रतिशत, प्रति इकाई रू 30.00 लाख की अधिकतम सीमा सहित, जो भी पहले हो, अनुमन्य होगी।
5. विद्युत बिल उपादान की प्राप्ति हेतु अदा किये गये बिलों की सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करें।
6. लीज/रेन्टल्स की प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन त्रैमासिक आधार पर तथा विद्युत बिल उपादान धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन, अर्द्धवार्षिक आधार पर प्रस्तुत किया जाना वॉछनीय है।

अनुलग्नक–ब

(सन्दर्भः शासनादेश सॅख्या 869/78–1–2016–25/2012, दिनॉक 14–07–2016)

परिभाषायें

1 (अ) "नई इकाई" का तात्पर्य सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं से सम्बन्धित ऐसी पूर्ण स्वामित्व वाली प्रोपराइटरशिप फर्म्स, कम्पनियों, समितियों एवं साझेदारी वाली नई इकाइयों से है जिनके द्वारा शासनादेश जारी होने की तिथि से 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाली अवधि के भीतर व्यवसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ कर दिये गये हों।

(ब) "एम.एस.एम.ई.(MSME) सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा उद्योग" का तात्पर्य ऐसी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र इकाइयों से है जिनका वार्षिक व्यवसाय (Turn-over) रु 25 करोड़ तक हो।

2 "कम्पनी" से तात्पर्य सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा उद्योग से सम्बन्धित ऐसी कम्पनी से है, जिसका गठन कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत किया गया हो।

3 "सोसायटी" से तात्पर्य सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा उद्योग से सम्बन्धित ऐसी सोसायटी से है, जिसका गठन सोसायटीज अधिनियम 1860 के अन्तर्गत किया गया हो।

4 "पार्टनरशिप" से तात्पर्य ऐसी साझेदारी फर्म से है जिसका गठन भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 के अन्तर्गत किया गया हो।

5 "वर्ष का तात्पर्य दिनॉक 01 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि से है।

6 "**सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग**" के अन्तर्गत सम्मिलित हैं सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर, सूचना प्रौद्योगिकी/ सूचना प्रौद्योगिकी जनित इकाइयॉ/ कम्पनियॉ इत्यादि। सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों/ कम्पनियों में सम्मिलित है सू0प्रौ0 एप्लीकेशन्स (IT applications), सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी सेवायें। सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं से अभिप्राय है बी0पी0ओ0/के0पी0ओ0/ परामर्शी (consulting)/ 'एनीमेशन (animation)', 'गेमिंग (gaming)' तथा अन्य ज्ञान उद्योग (knowledge industry)।

7 **सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के अन्तर्गत सन्निहित है, किन्तु यही तक सीमित नही** :–

- एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (Application Software) ।
- आपरेटिंग सिस्टम – Operating System ।
- 'मिडिलवेयर' / फर्मवेयर (Middleware/ Firmware) ।
- उक्त सॉफ्टवेयर में किसी भी अवयव (component) का विकास ।
- इन सॉफ्टवेयर की डिजाइन एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करना ।
- प्रणाली का एकीकरण (System Integration Work)/सॉफ्टवेयर हेतु अवयव (component) ।
- सॉफ्टवेयर में कोई स्थानीय (Localization) एवॅ सप्लाई चेन मैनेजमेंट (Supply Chain Management) का कार्य ।
- विस्तार विकास (Extension Development) (मुख्य सॉफ्टवेयर के बाहर के मॉड्यूल्स)।

8 **'सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं'** का आशय उन सेवाओं से है जो किसी सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद में सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसका मूल्य संवर्द्धन करती है।

सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं में निहित हैः—

- इन्टरनेट सर्विस प्रोवाइडर ।
- ई—मेल सर्विस प्रोवाइडर ।
- विश्वव्यापी वेब (World wide web) सर्विस प्रोवाइडर ।
- ई—कामर्स तथा कन्टेन्ट डेवलपमेन्ट ।
- इलेक्ट्रानिक डाटा इन्टरचेंज (EDI) सेवायें ।
- वीडियो कान्फ्रेंसिंग ।
- वी—सैट — आई.एस.डी.एन सेवायें ।
- इलेक्ट्रानिक डाटा सेन्टर कार्यकलाप ।

9 **सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं** में वे सभी प्रक्रियायें एवं सेवायें सन्निहित हैं जो व्यापक व्यापारिक वर्ग को, टेलीकाम संचार तंत्र अथवा इन्टरनेट के माध्यम से प्रदान की जाती हैं जैसे मेडिकल ट्रॉसक्रिप्शन, लीगल डेटा बेस प्रोसेसिंग, सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, आईपीआर सर्विसेज, डिजिटल कन्टेन्ट डेवलपमेन्ट/एनीमेशन, रिमोट मेन्टीनेन्स, बैक—आफिस आपरेशन्स— लेखा एवं वित्तीय सेवायें, इलेक्ट्रानिक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परामर्श, बॉयो इन्फार्मैटिक्स, डेटा प्रोसेसिंग तथा काल—सेन्टर आदि।

सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं में सन्निहित किन्तु यहीं तक सीमित नहीं:—

- बिजनेस प्रोसेस मैंनेजमेन्ट(BPM) ।
- ग्राहकों से वार्तालाप से सम्बन्धित सेवायें (Customer Interaction Services) जैसे वार्तालाप/सम्पर्क केन्द्र (Call/Contact Centres) तथा ई—मेल, हेल्प—डेस्क।
- इन्जीनियरिंग एवं डिजाइन।
- बैक आफिस प्रोसेसिंग।
- वित्त एवं लेखा (रिमोट द्वारा)।
- बीमा दावों को निपटाने की प्रक्रिया — इंश्योरेन्स क्लेम प्रोसेसिंग (रिमोट द्वारा)।
- मानव संसाधन सेवायें (रिमोट द्वारा)।
- वेबसाइट विकास एवं अनुरक्षण सेवायें (Website development & maintenance services)।
- डेटा सर्च, इन्टीग्रेशन एण्ड एनालिसिस (Data Search, Integration & Analysis) तथा नेटवर्क परामर्श एवं प्रबन्धन (Network consulting and Managment)।
- दूरस्थ शिक्षा (Remote Education)।
- एनीमेशन — (रिमोट द्वारा)।
- गेमिंग ।
- मार्केट रिसर्च (रिमोट द्वारा)।
- अनुवाद (Translation), नकलनवीसी (Transcription) तथा स्थानीयकरण (Localization) (रिमोट द्वारा)।
- परामर्श (रिमोट द्वारा) सम्बन्धित विषयः—
  - सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टर।
  - ई0आर0पी0 (Enterprise Resource Planning)।
  - सी0आर0एम0 — ग्राहक सम्पर्क प्रबन्धन (Customer Relationship Management)।
  - एम0आर0एम0 — (Marekting Resources Management)।
  - तकनीकी सहायता (Technical Support)।
  - बिजनेस सिस्टम्स एण्ड प्रोसेसेज (Business Systems & Processes)।

- डेटा प्रोसेसिंग।
- सिस्टम इन्टीग्रेशन एण्ड कस्टमाइजेशन।
- सिस्टम अपग्रेडेशन सर्विसेज ।
- डिजाइनिंग एवं डिजाइनिंग सिस्टम्स।
- काल सेन्टर्स।
    - वायस – इनबाउण्ड तथा आउटबाउण्ड – दोनों।
    - डेटा – इनबाउण्ड तथा आउटबाउण्ड – दोनों।

- सॉफ्टवेयर एक्सटेन्शन डेवलपमेण्ट।
- आईटी फेसिलिटीज मैनेजमेण्ट (रिमोट व्यवस्था सहित)।
- "रिमोट द्वारा" से तात्पर्य इन्टरनेट/दूर संचार नेटवर्क के माध्यम से दूरस्थ स्थान पर सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं की उपलब्धता से है।

10 "व्यवसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ की तिथि" का तात्पर्य चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट से प्रमाणित, नये स्थायी पूँजी निवेश के माध्यम से निर्मित वस्तुओं एवं सेवाओं (Goods and Services) की बिक्री की प्रथम तिथि से है।

11 "कार्यदायी संस्था" अथवा "नोडल एजेन्सी" का तात्पर्य शासन द्वारा शासनादेश के माध्यम से "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवॅ स्टार्ट अप नीति–2016" के अन्तर्गत नामित कार्यदायी संस्था/नोडल एजेन्सी से है।

12 नीति कार्यान्वयन इकाई (पी0आई0यू0) का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवॅ स्टार्ट अप नीति–2016 के प्रस्तर 3.4.1 में पारिभाषित नीति कार्यान्वयन इकाई से है।

अनुलग्नक–स

आवेदक एम.एस.एम.ई सूचना प्रौद्योगिकी / सू0प्रौ0 जनित सेवा इकाई की ओर से

वचन–पत्र

मैं ....(नाम) आयु लगभग ... वर्ष पुत्र श्री .... निवासी .... – अधोहस्ताक्षरी एतद्द्वारा निम्नवत् कथन करता हूँ:–

1 यह कि अधोहस्ताक्षरी, आवेदक इकाई / इन्क्यूबेटर .... (नाम) जिसका पॅजीकृत कार्यालय ....(पता) एवॅ कार्यशाला ....(पता) पर है, का स्वामी / साझेदार / प्रबन्ध निदेशक / निदेशक / इन्क्यूबेटर प्रभारी* है।

2 यह कि आवेदक इकाई / इन्क्यूबेटर द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवॅ स्टार्ट–अप नीति–2016" में विहित व्यवस्थानुसार, "पट्टे / किराये पर लिये गये स्थान के लीज / रेन्टल में छूट" की प्राप्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है।

3 यह कि इकाई / इन्क्यूबेटर की स्थापना हेतु पट्टे / किराये पर लिया गया स्थान स्वयॅ आवेदक इकाई अथवा उसके स्वामी / किसी साझेदार / प्रबन्ध निदेशक / किसी निदेशक / अथवा इन्क्यूबेटर के मेजबान संस्थान (Host Institution) के प्रमुख / प्रधानाचार्य* अथवा उनके पारिवारिक सदस्य(ों) अथवा रिश्तेदार(ों) की सम्पत्ति नहीं है तथा उनके नाम नहीं है।

4 यह कि अधोहस्ताक्षरी स्वयं तथा आवेदक फर्म / कम्पनी / प्रतिष्ठान / मेजबान संस्थान* की ओर से वचन देता है कि उपरोक्त उद्घोषणा गलत अथवा असत्य अथवा भ्रामक पाये जाने की स्थिति में उपरोक्त उल्लिखित प्रयोजन के लिए प्राप्त की गई पूर्ण धनराशि का भुगतान, लिखित मॉग किये जाने से सात दिनों के अन्दर कर देगा एवं ऐसा कर पाने में असफल रहने पर शासन को अधिकार होगा कि वह प्रोत्साहन राशि की वसूली 15 प्रतिशत ब्याज सहित भू–राजस्व की भॉति कर ले।

स्थान

सम्बन्धित इकाई के स्वामी / साझेदार / प्रबन्ध निदेशक / निदेशक / संस्थान के प्रमुख / प्रधानाचार्य द्वारा नामित इन्क्यूबेटर के प्रभारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

तिथि

टिप्पणी : *जो लागू न हो, उसे काट दें